इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

उपाध्यक्ष,इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के निर्देशानुपालन में आज दिनांक 07/09/2017 को जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जोन संख्या–04 (नैनी) में श्री रूपेन्द्र मिर्जापुर रोड, व्यवहरा,नैनी द्वारा आराजी संख्या 92 व अन्य ग्राम व्यवहरा पर लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में तथा श्री राजकुमार पुत्र श्री भुल्लन राम मौजा नेवादा समोगर मिर्जापुर रोड, नैनी द्वारा आराजी संख्या 309, 310, 311, व अन्य पर लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल में इस प्रकार कुल लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में की गयी अनधिकृत प्लाटिग को ध्वस्त कराया गया इसके साथ ही आराजी संख्या 39,56,व 57 पर श्री आजाद सिंह द्वारा मौजा–नैनी, तालुका नैनी–ददरी (अरेवा के पीछे काजीपुर) नैनी, इलाहाबाद पर लगभग 400 वर्गगज क्षेत्रफल में किये गये अनधिकृत तीन मंजिला निर्माण एवं श्री दिनेश कुमार तिवारी ग्राम महुआरी, अरैल,नैनी,करछना इलाहाबाद द्वारा उक्त स्थल पर लगभग 200 वर्गगज क्षेत्रफल में किये जा रहे भूतल के निर्माण को आंशिक रूप से ध्वस्त किया गया। उक्त ध्वस्तीकरण के दौरान दोनो निर्माण कर्ताओ तथा एक अन्य निर्माण कर्ता द्वारा क्रमशः पांच लाख, दो लाख एवं पचास हजार कुल 750000/– रूपये की धनराशि के चेक प्रस्तुत कर मानचित्र दाखिल करने हेतु 15 दिन के समय की मांग की गयी। अवैध निर्माणों के विरूद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।

उक्त कार्यवाही जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता श्री सच्चिदानन्द सिंह,श्री सुनील कुमार शर्मा,श्री अंशु गर्ग, भवन निरीक्षक श्री कुवर सिंह, प्राधिकरण पुलिस बल व प्रवर्तन टीम तथा धानाअध्यक्ष नैनी एवं औद्योगिक क्षेत्र पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त जोन संख्या–01 जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व में 01 चालान, 03 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 01 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व मे 02 चालान की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 04 चालान, 03 नोटिस निर्गत की गयी।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

07.09.17
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क